राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

–: प्रेस नोट :–

दिनांक :– 02.08.2021

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.08.2021 को केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ दिये जाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा। उक्त अधिसूचना के क्रम में भूतपूर्व सैनिकों को लाभ दिये जाने के संबंध में शुद्धि पत्र संख्या 03/2021–22 दिनांक 02.08.2021 जारी किया गया है जो आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। **राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के 988 पदों हेतु आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 03/परीक्षा/RAS-RTS/2021–22 दिनांक 20.07.2021 जारी किया गया था जिसके तहत् अब ऑनलाईन आवेदन दिनांक 04.08.2021 से दिनांक 02.09.2021 को रात्रि 12:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है।** उक्त ऑनलाईन आवेदन की अवधि के पश्चात् लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। अतः अभ्यर्थी यथा समय अपना ऑनलाईन आवेदन भरना सुनिश्चित करें।

(शुभम् चौधरी)
सचिव